



Handwritten signature: *Handwritten signature*

Government of Uttar Pradesh

IN-UP93585916922178Y



e-Stamp

9363/26

Certificate No. : IN-UP93585916922178Y
 Certificate Issued Date : 01-Jun-2026 12:20 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0181327175406963Y
 Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : VILL-DONA,GATA NO-2703 ETC,TOTAL AREA-0.6192 HEC LUCKNOW
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAM LAL
 Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 12,13,660
 (Twelve Lakh Thirteen Thousand Six Hundred And Sixty only)

19



Please write or type below this line

IN-UP93585916922178Y

रामलाल

Handwritten signature: *Handwritten signature*

FHI 0001003417

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilstamp.com/ or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





:: 1 ::



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 1,73,37,600/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 43,34,400/-
 5. जनरल स्टाम्प - 12,13,660/-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP93585916922178Y व दिनांक 01-06-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

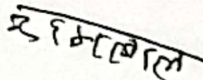
खसरा सं० 284स का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०,
खसरा सं० 2399 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०,
खसरा सं० 2637 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0232हे०,
खसरा सं० 2520 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०,
खसरा सं० 2542 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०,
खसरा सं० 2640 का कुल रकबा 0.2660हे० में से विक्रीत रकबा 0.0444हे०,
खसरा सं० 2703 का कुल रकबा 0.3040हे० में से विक्रीत रकबा 0.0500हे०,
खसरा सं० 2898 का कुल रकबा 0.4050हे० में से विक्रीत रकबा 0.0675हे०,
खसरा सं० 2952 का कुल रकबा 0.2780हे० में से विक्रीत रकबा 0.0463हे०,
खसरा सं० 2960 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.0210हे०,
खसरा सं० 2964 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विक्रीत रकबा 0.0320हे०,

रामलाल

- खसरा सं० 2968स का कुल रकबा 0.4550हे० में से विक्रीत रकबा 0.0758हे०,
खसरा सं० 2969 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0336हे०,
खसरा सं० 2970 का कुल रकबा 0.4300हे० में से विक्रीत रकबा 0.0717हे०,
खसरा सं० 2973 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0358हे०,
खसरा सं० 2998 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विक्रीत रकबा 0.0273हे०,
खसरा सं० 3002 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0590हे०,
कुल रकबा 3.7170 हे० में से विक्रीत रकबा 0.6192हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.6192हे०
 11. सड़क की स्थिति- किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
 13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

रामलाल



100 Sl. No.	Bahi	Khand	Pages	Date of Registration	Signature	Name & Address of Presenter	Newly Passport Size Photograph
1	2	3	4	5	6	7	8
						श्री राम लाल पुत्र भोगनाथ निवासी - दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	
						लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अजनी कुमार शुक्ला (सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार)	
						<u>गवाह-01</u> श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन) पुत्र श्री दिनेश कुमार अवस्थी, पता-लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	
						<u>गवाह-02</u> श्री देशराज (सिखपाल) पुत्र श्री राम सागर पता- लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या - 2399

- 15. पूरब - गाटा संख्या - 2381
- 16. पश्चिम - गाटा संख्या - 2390
- 17. उत्तर - गाटा संख्या - 2385
- 18. दक्षिण - गाटा संख्या - 2395

19. विक्रेता का विवरण:-

श्री राम लाल पुत्र भोगनाथ निवासी - दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं० 4660 2458 3490 मो० नं० 7524952820 पैन नं० AUCPL9486H

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला

पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार

विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण

जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993

पैन संख्या - AAALL0016F

21.

विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेहन व बंधन व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.6192 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वज्ररुत खुद के उसी किता भूमिधारी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिया रूपये 1,73,37,600/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख सैतिस हजार छः सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिया रूपये 86,68,800/- (रूपये छियासी लाख अड़सठ हजार आठ सौ मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंध कानून व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बंध दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता

21/11/2018



से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से वाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी वयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूत्रों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तर्गत कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रज्जात भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गावाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी वयसुदा:-

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 284स का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2399 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2637 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0232हे०, खसरा सं० 2520 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2542 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 2640 का कुल रकबा 0.2660हे० रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 2703 का कुल रकबा 0.3040हे० में से विक्रीत रकबा 0.0444हे०, खसरा सं० 2703 का कुल रकबा 0.4050हे० में से विक्रीत रकबा 0.0500हे०, खसरा सं० 2898 का कुल रकबा 0.2780हे० में से विक्रीत रकबा 0.0463हे०, खसरा सं० 2952 का कुल रकबा 0.2780हे० में से विक्रीत रकबा 0.0210हे०, खसरा सं० 0.0675हे०, खसरा सं० 2952 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विक्रीत रकबा 0.0210हे०, खसरा सं० 2960 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विक्रीत रकबा 0.0320हे०, खसरा सं० 2968स का खसरा सं० 2964 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विक्रीत रकबा 0.0758हे०, खसरा सं० 2969 का कुल रकबा 0.4550हे० में से विक्रीत रकबा 0.0758हे०, खसरा सं० 2970 का कुल रकबा 0.4300हे० में से विक्रीत रकबा 0.0717हे०, खसरा सं० 2973 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0358हे०, खसरा सं० 2998 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विक्रीत रकबा 0.0358हे०, खसरा सं० 3002 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0590हे०, कुल रकबा 0.0273हे०, खसरा सं० 3002 का कुल रकबा 0.6192हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित रकबा 3.7170 हे० में से विक्रीत रकबा 0.6192हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित

ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।
प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

हस्ताक्षर



23. तफसील बसूलयादी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रूपये 1,73,37,600/- (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख सैतिस हजार छः सौ मात्र) विक्रेता श्री राम लाल पुत्र भोगनाथ उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट PNB Bank शाखा मुंशी पुलिया, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 269288 दिनांक 11.05.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बावत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदातल उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति करने को इकदर होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।
दिनांक- 01.06.2026
21/6/26





आवेदन सं.: 202601041020683

चित्रपत्र पत्र

बही सं.: 1

रजिस्ट्रेशन सं.: 9363

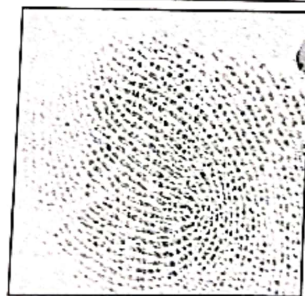
वर्ष: 2026

प्रतिकल - 17337600 स्टाम्प शुल्क - 1213660 बाजारी मूल्य - 4334400 पंजीकरण शुल्क - 173380 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 173440

श्री राम लाल,
पुत्र श्री भोगनाथ
व्यवसाय : अन्य
निवासी: देगा

राम लाल

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 01/06/2026 एवं 08:16:12 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक, सोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

01/06/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक
01/06/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976



हस्ताक्षर क्रेता

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



प्राधिकृत

टाइम्पर्टा

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

[Handwritten signature]



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
01/06/2026

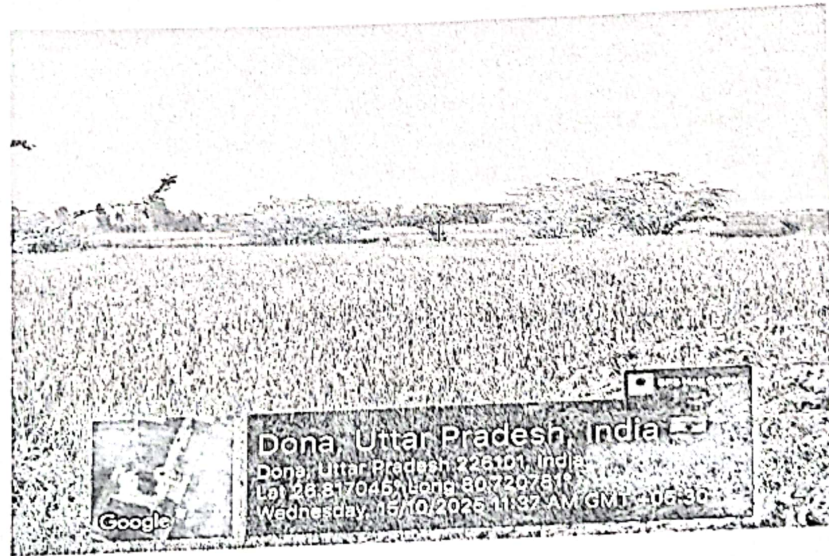
सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक लखनऊ
01/06/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश



विकीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 284स का कुल रकबा 0.0510हे० में से विकीत रकबा 0.0085हे०, खसरा सं० 2399 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विकीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2637 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विकीत रकबा 0.0232हे०, खसरा सं० 2520 का कुल रकबा 0.0630हे० में से विकीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2542 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विकीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 2640 का कुल रकबा 0.2660हे० में से विकीत रकबा 0.0444हे०, खसरा सं० 2703 का कुल रकबा 0.3040हे० में से विकीत रकबा 0.0500हे०, खसरा सं० 2898 का कुल रकबा 0.4050हे० में से विकीत रकबा 0.0675हे०, खसरा सं० 2952 का कुल रकबा 0.2780हे० में से विकीत रकबा 0.0463हे०, खसरा सं० 2960 का कुल रकबा 0.1260हे० में से विकीत रकबा 0.0210हे०, खसरा सं० 2964 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विकीत रकबा 0.0320हे०, खसरा सं० 2968स का कुल रकबा 0.4550हे० में से विकीत रकबा 0.0758हे०, खसरा सं० 2969 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विकीत रकबा 0.0336हे०, खसरा सं० 2970 का कुल रकबा 0.4300हे० में से विकीत रकबा 0.0717हे०, खसरा सं० 2973 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विकीत रकबा 0.0358हे०, खसरा सं० 2998 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विकीत रकबा 0.0273हे०, खसरा सं० 3002 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विकीत रकबा 0.0590हे०, कुल रकबा 3.7170 हे० में से विकीत रकबा 0.6192हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील, सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



समनाम
विक्रेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041020683

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9363

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र खाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राम लाल,

RAM LAL

पुत्र श्री भोगनाथ

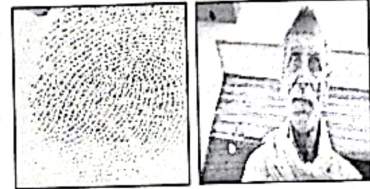
राम लाल

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 486H

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र
प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

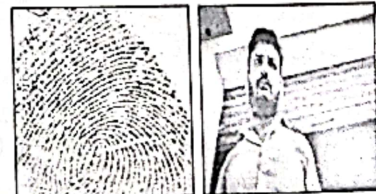


श्री शिवम अवस्थी अमीन, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

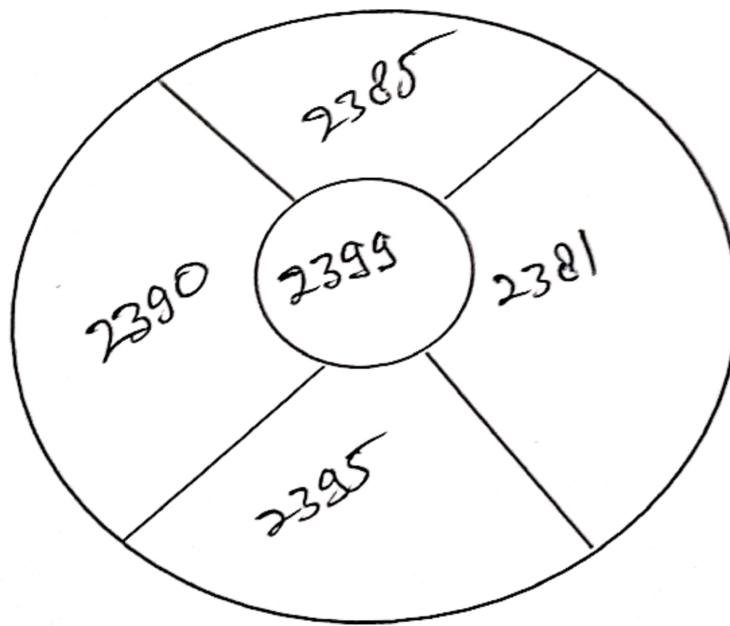
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा 284स का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0095हे०, खसरा सं० 2399 का कुल रकबा 0.0830हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2837 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0232हे०, खसरा सं० 2520 का कुल रकबा 0.0830हे० में से विक्रीत रकबा 0.0105हे०, खसरा सं० 2542 का कुल रकबा 0.0130हे० में से विक्रीत रकबा 0.0021हे०, खसरा सं० 2640 का कुल रकबा 0.2880हे० में से विक्रीत रकबा 0.0444हे०, खसरा सं० 2703 का कुल रकबा 0.3040हे० में से विक्रीत रकबा 0.0500हे०, खसरा सं० 2898 का कुल रकबा 0.4050हे० में से विक्रीत रकबा 0.0675हे०, खसरा सं० 2952 का कुल रकबा 0.2780हे० में से विक्रीत रकबा 0.0483हे०, खसरा सं० 2980 का कुल रकबा 0.1280हे० में से विक्रीत रकबा 0.0210हे०, खसरा सं० 2994 का कुल रकबा 0.1900हे० में से विक्रीत रकबा 0.0320हे०, खसरा सं० 2998स का कुल रकबा 0.4550हे० में से विक्रीत रकबा 0.0758हे०, खसरा सं० 2969 का कुल रकबा 0.2020हे० में से विक्रीत रकबा 0.0338हे०, खसरा सं० 2970 का कुल रकबा 0.4300हे० में से विक्रीत रकबा 0.0717हे०, खसरा सं० 2973 का कुल रकबा 0.2150हे० में से विक्रीत रकबा 0.0358हे०, खसरा सं० 2998 का कुल रकबा 0.1640हे० में से विक्रीत रकबा 0.0273हे०, खसरा सं० 3002 का कुल रकबा 0.3540हे० में से विक्रीत रकबा 0.0590हे०, कुल रकबा 3.7170 हे० में से विक्रीत रकबा 0.6192हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



[Handwritten signature]

केता के हस्ताक्षर

विक्रेता के हस्ताक्षर
[Handwritten signature]



आवेदन सं०: 202601041020683

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2414 के पृष्ठ 295 से 314 तक क्रमांक 9363 पर दिनांक
01/06/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

01/06/2026

